

डिक्री बमुकदमें ईब्तादाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी

पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या:-398/2018

1. देवीलाल पुत्र बुधराम जाति बिश्नोई निवासी शेरकां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
-वादी

बनाम्

1. साहबराम } पि0 बुधराम जाति बिश्नोई निवासी शेरकां तहसील टिब्बी जिला
2. विष्णुदत्त } हनुमानगढ़।
3. तहसीलदार राजस्व टिब्बी।
4. तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़।

-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कंतेई रोबरू हमारे बहाजरी श्री विकास प्रसाद शर्मा वकील वादी भिन जाभिन मुदई श्री महावीर प्रसाद वर्मा प्रतिवादीगण भिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादी देवीलाल को चक नं0 2 एसएसडब्ल्यू के खाता सं0 17 के प0न0 176/282 मु0 15 किला नं0 11 से 13, 18 से 22/1.847 है0, प0न0 176/283 मु0 19 किला नं0 1/1/.032 है0 तथा चक नं0 18 जीजीआर के खाता सं0 44 में 0.675 है0 भूमि व चक नं0 19 जीजीआर के खाता सं0 48 में 1.096 है0 व प्रतिवादी सं0 1 साहबराम को चक नं0 1 एचएमएच के खाता सं0 40 में .759 है0 तथा चक नं0 19 जीजीआर के खाता सं0 48 में अंकित .370 है0, चक नं0 18 जीजीआर के खाता सं0 44 में अंकित 1.855 है0 तथा प्रतिवादी सं0 2 विष्णुदत्त को चक नं0 2 एसएसडब्ल्यू के खाता सं0 17 के प0न0 176/283 मु0 19 किला नं0 1/2/. 221, 10 से 14, 18 से 20/2.024 है0, प0न0 175/283 मु0 20 किला नं0 14 स 17,25/1.265 है0 कुल 3.763 है0, चक नं0 18 जीजीआर के खाता सं0 44 की .253 है0 कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नं0 2 एसएस डब्ल्यू के खाता सं0 17 से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन, चक नं0 1 एचएमएच के खाता सं0 40 से वादी व प्रतिवादी सं0 2 का नाम कलमजन, चक नं0 19 जीजीआर के खाता सं0 48 से प्रतिवादी सं0 2 का नाम कलमजन, चक नं0 18 जीजीआर के खाता सं0 44 से वादी व प्रतिवादी सं0 2 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक न्रटण की स्थिति में रहन. मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। पक्षकारान खर्चा अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक..... को जारी किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी